छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 347/2006</u>

श्री राजेश ताम्रकार,
ए–1, दयानंद (ओम) परिसर,
आर्यनगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
नगर पालिक निगम, भिलाई,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 06 नवम्बर 2006)

श्री राजेश ताम्रकार निवासी–आर्यनगर, दुर्ग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 9–5–2006 को जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिया था, जिसमें यह जानकारी चाही गई थी कि पर्यवेक्षक लायसेंस लेने के लिए क्या पात्रता एवं अनुभव है तथा क्या आई.टी.आई. उत्तीर्ण द्विवर्षीय पत्रोपाधि रखने वाले लायसेंस की पात्रता रखते हैं तथा किस नियम के अंतर्गत लायसेंसधारी करते हैं। श्री शशीकांत निर्मलकर एवं रफीक अहमद दोनों आई. टी.आई. उत्तीर्ण पर्यवेक्षक लायसेंसधारी हैं को किस नियम के अंतर्गत लायसेंस प्रदान किया गया आदि। नगर पालिक निगम, भिलाई के द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 4–8–2006 से निःशुल्क जानकारी दी गई, जिसमें कंडिका–2, 3, 4 एवं 5 संबंधी जानकारी प्रदान की गई। कंडिका–1 पर्यवेक्षक लायसेंसधारी है के पात्रता के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी ने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13–7–2006 को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक–2, 3, 4 एवं 5 से संबंधित जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को दिनांक 4–8–2006 को 15 पृष्ठों की जानकारी निःशुल्क प्रदान की गई। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को नोटिस जारी किया गया। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा बिन्दु क्रमांक–1 की जानकारी उसे नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में बिन्दु क्रमांक–2, 3, 4 एवं 5 का उल्लेख

किया किन्तु बिन्दु क्रमांक–1 के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। प्रतिअपीलार्थी का तर्क यह है कि अपीलार्थी ने पर्यवेक्षक लायसेंस प्रदान करने की नियम के अनुसार पात्रता के संबंध में जानकारी चाही थी। उसे छत्तीसगढ़ भूमि विकास अधिनियम की छायाप्रति दी गई। अपीलार्थी ने यह चाहा था कि क्या आई.टी.आई. उत्तीर्ण द्विवर्षीय डिप्लोमा पास पर्यवेक्षक लायसेंस के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। इसका नियम में कोई स्पष्ट नहीं होने के कारण कोई जवाब नहीं दिया गया। अपीलार्थी हां या नहीं में जवाब चाहता है, जो कि दिया जाना संभव नहीं है। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण लंबित है। अतः नियम की व्याख्या की जानकारी प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिया जाना संभव नहीं है।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पर्यवेक्षक लायसेंस दिये जाने के संबंध में भूमि विकास नियम की प्रति दी जा चुकी है तथा पूर्व में जिन दो व्यक्तियों को आई.टी. आई. डिप्लोमा के आधार पर पर्यवेक्षक लायसेंस दिये गये हैं, उससे संबंधित नोटशीट एवं आदेशों की प्रति भी दी गई। अपीलार्थी ने अपने आवेदन के साथ वांछित अभिलेख हेतु शुल्क भी जमा कराया था किन्तु समय पर जानकारी न देने के फलस्वरूप अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी देने हेतु प्रतिअपीलार्थी को निर्देशानुसार दी गई। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आई.टी.आई. द्विवर्षीय डिप्लोमा पास व्यक्ति को पर्यवेक्षक लायसेंस के लिए पात्रता है अथवा नहीं, यह जानकारी नहीं दी गई। जन सूचना अधिकारी का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा नियमों की प्रतिलिपि दी गई। यदि नियमों में आई.टी.आई. के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तो इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को सूचित किया जाना चाहिए था। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में आई.टी.आई. डिप्लोमा उत्तीर्ण व्यक्तियों को लायसेंस जारी किये गये हैं तथा वर्तमान में यदि कोई आई.टी.आई. डिप्लोमा उत्तीर्ण व्यक्ति लायसेंस के लिए आवेदन देता है तो उसे पात्रता है अथवा नहीं, यह नगर पालिक निगम, भिलाई के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। किसी भी संस्था में नियुक्ति के लिए किस पद हेतु क्या अर्हता निर्धारित है यह स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि नियमों का अलग–अलग अर्थ निकालकर सुविधानुसार कार्यवाही न हो सके। अतः जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को आई.टी.आई. डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के पात्रता के संबंध में नियमानुसार जानकारी 15 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान करें।

5/ अपीलार्थी ने पूर्ण जानकारी न देने के कारण जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड आरोपित करने का भी अनुरोध किया था। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा द्वेषवश अथवा जानबूझकर जानकारी नहीं दिया जाना सिद्ध नहीं होता है। नियमों की व्याख्या में भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरुप अपीलार्थी को पात्रता संबंधी जानकारी नहीं दी गई। अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 6–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त